



2-2-2021.

वकील अपीलांत के प्रार्थना पत्र पर पत्रावली पेशी में ली गई। वकील अपीलांत ने प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर विवेचन किया है कि दस्तगत प्रकरण में पंचायत द्वारा राजीनामा करा दिया गया है। रेस्पोंडेंट द्वारा ०.००२६० रास्ता दिये जाने की सहमति पंचायत के समझ ही जा चुकी है। अपीलांत - प्रार्थी अपील में कोई कार्यवाही करना नहीं चाहता है।

शुवि प्रकार  
Dy me  
AS  
(इसकोफ उता ८ प्र)

D. No. 139

17.2.2021

अतः ऐसी स्थिति में अपीलांत द्वारा दस्तगत अपील में कोई कार्यवाही नहीं चाहने से अपील अपीलांत स्वारिज की जाती है।

आदेशिका की प्रति अधीनस्थ पत्राचारको भेजी जावे। पत्रावली निर्गमित दर्जित कर, बादतकमीय दारिक्य हफतर हो। आदेश सुनाया गया।

अति विला कलक्टर (सतकंता)  
श्रीगंगानगर